संख्या-885/2017/2225/22-2-2017-17(142)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट पुत्र श्री कोदई निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017, दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट पुत्र श्री कोदई, जो विशुनपुर वुजुर्ग, थाना-खोराबार, जनपद-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा सभापति के चुनाव में उपजे विवाद को लेकर घटना दिनांक 19-06-1973 को 50 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, फरसा, बल्लम व देशी कट्टों से मारकर 09 व्यक्तियों की हत्या का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-414ए/1974 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302, 307, 324, 201, 149, 395 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-2, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.04.1976 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.09.2016 तक 17 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 07 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 26 सहअभिुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोषमुक्त एवं 03 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त तथा 14 अन्य सहअभियुक्त सजा भुगत रहे है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र, कारित अपराध की प्रकृति एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रामहित उर्फ चिरकुट (बन्दी संख्या-47/16) पुत्र श्री कोदई निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-885/2017/2225(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।